

FORM NO -III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मुकाम

नागौर

अज अदालत कलक्टर,




प्रार्थी

अर्जुनराम पुत्र हीराराम जाति जाट
निवासी शिवपुरा (रायधनु)
तहसील व जिला नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण
तहसीलदार जी नागौर

किस्म मुकदमा राजस्व मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या ..22 सन् 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम इस हुकम तारीख में जारी हुए
10.04.18	<p>प्रार्थी ने यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार नागौर के यहां विचाराधीन राजस्व प्रकरण संख्या-02/2016 हेमी बनाम अर्जुनराम को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है। पत्रावली वास्ते बहस एडमिशन दिनांक 12.04.2018 को पेश हो।</p> <p> जिला कलक्टर, नागौर</p>	
12.04.18	<p>वकिल प्रार्थी की प्रकरण के एडमिशन के संबंध में एकतरफा बहस सुनी गई। प्रकरण दर्ज किये जाना उचित प्रतित होता है। अतः प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अधिनस्थ न्यायालय से पैरावाईज टिप्पणी तलब हो तथा अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 14.05.2018 को पेश हो।</p> <p> जिला कलक्टर, नागौर</p>	
14.5.18	<p>वकील प्रार्थी उपर।</p> <p>वकील प्रार्थी द्वारा यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र जिस घोषालीन अधिकारी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। इनका अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से अब इस प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रहा है। अतः प्रार्थी का यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र कोई औचित्य नहीं रहने के आधार पर रद्द किया जाता है। अपरेश की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को पालनार्थ जिम्माई जावे। बाद आवश्यक् कार्यवाही पत्रावली पैलल शुभर होकर नम्बर से कम हो।</p> <p> (कुमार प्रेम गोतम) कलक्टर, नागौर</p>	